



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 439 राँची, शुक्रवार,

28 जुलाई, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई, 2023

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-820--श्री इन्दर कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-821--श्री धनंजय (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री धनंजय को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-822--श्री जय प्रकाश करमाली (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री करमाली को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-823 --श्रीमती वन्दना सेजवलकर (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्रीमती सेजवलकर को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-824--श्री सुरेन्द्र कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-825--श्री बैद्यनाथ कामती (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कामती को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-826--श्री शंकरा चार्य समाद (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री समाद को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-827--श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रियदर्शी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-828--श्री बिजय कुमार सोनी (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सोनी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-829--श्री धीरज प्रकाश (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रकाश को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 830--श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री द्विवेदी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-831--श्री संजय पी.एम. कुजूर (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुजूर को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)-832 --श्री विष्णुदेव कच्छप (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कच्छप को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 833--श्रीमती मारुति मिंज (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद.-01(ख)-12/2014 का. 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती मिंज को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 834--श्री सौरभ प्रसाद (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री प्रसाद को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 835--श्री ओम प्रकाश यादव (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री यादव अपने मूल पदस्थापन कार्यालय के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

श्री यादव को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

2. वैसे जिला परिवहन पदाधिकारी (अपर समाहर्ता एवं समकक्ष पद हेतु प्रोन्नत) जिनके स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है, वे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग ।
